

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
संख्या:-2109 / FP/UK/ROAD/29432/2017 देहरादून: दिनांक: 21 दिसम्बर, 2017

सेवा में,

अपर सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद-उत्तरकाशी के अन्तर्गत ब्याणा से स्याबा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.318 है० वन भूमि का गैर
वानिकी कार्य हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन। FP/UK/ROAD/29432/2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव
की हार्ड कापी की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। अतः जनपद-उत्तरकाशी के अन्तर्गत ब्याणा से स्याबा
मोटर मार्ग के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।
संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(विनोद कुमार)

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या / FP/UK/ROAD/29432/2017 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
3. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती।
4. जिलाधिकारी, जनपद-उत्तरकाशी।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
6. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी।

(विनोद कुमार)

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम:- जनपद-उत्तरकाशी के अन्तर्गत ब्याणा से स्याबा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.318 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन।

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी में 2.891 है० आरक्षित वन भूमि एवं 0.427 है० राजस्व वन भूमि अर्थात् कुल 3.318 है० वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी तथा वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः जनहित में प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम: (विनोद कुमार भा.व.से.)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

Addl. P.C.C.F./N.O.
Land Survey Directorate
Dehradun

सरकारी मोहर:

तिथि : 21 / 12 / 2017

स्थान : देहरादून